

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
समक्ष : डॉ० मधु खरे  
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 947-एक / 2010 विरुद्ध आदेश दिनांक 12-3-2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 42 / 2002-03 / अपील.

अबरारखा पिता गफूरखा मुसलमान  
निवासी खिलचीपुरा तहसील मन्दसौर

आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती सौभाग्यवती विधवा बेनी सिंह माथुर  
निवासी ठाकुर साहब का बाग स्टेशन रोड  
मन्दसौर
2. विजय कुमार पिता बेनी सिंह माथुर  
निवासी ठाकुर साहब का बाग स्टेशनरोड  
मन्दसौर मृत - द्वारा वारसान 1. आशिता  
2. आरुषी सभी निवासी ठाकुर साहब का बाग  
स्टेशन रोड मन्दसौर
3. जाय पिता बेनी सिंह माथुर  
निवासी स्टेशन रोड मन्दसौर
4. अजय कुमार पिता बेनी सिंह माथुर  
निवासी ठाकुर साहब का बाग स्टेशन रोड  
मन्दसौर
5. भगवती पिता कन्हैयालाल भारद्वाज  
निवासी किला रोड शहर मन्दसौर

अनावेदकगण

श्री के०के० द्विवेदी, अभिभाषक आवेदक

:: आ दे श ::

( आज दिनांक ०२ अप्रैल 2016 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन

०

Omka

संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-3-2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक ने कस्बा मंदसौर की भूमि ख०क० 788 रकबा 0.010 आरी में से 540 वर्गफीट भूमि रजिस्टर्ड विक्य पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार मंदसौर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार मंदसौर ने प्रकरण क्रमांक 57 / अ-6 / 99-2000 में पारित आदेश दिनांक 29-12-2000 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21-10-2002 के द्वारा अपील समयावधि बाह्य होने से अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 12-3-2010 के द्वारा अपील प्रस्तुत करने के लिए विलम्ब का कारण सद्भाविक माना तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अपील को समय-सीमा में मानकर पक्षकारों की सुनवाई कर, गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 5 से रजिस्टर्ड विक्य पत्र के आधार पर क्य की थी जिसका विधिवत नामांतरण दिनांक 29-12-2000 को हो चुका है। अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि के बाहर होने से अपील निरस्त की, परन्तु अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त के समक्ष मात्र समयावधि के बिन्दु पर प्रकरण दायर किया गया

(6)

था, परन्तु उनके द्वारा मेरिट पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यदि किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा मेरिट पर कोई आदेश पारित कर प्रत्यावर्तित किया जाता है तो प्रकरण के गुण-दोष पर निराकरण करते समय पर प्रभाव पड़ेगा। तर्क में यह भी कहा कि कब्जे के आधार पर नामांतरण नहीं हो सकता। अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 को अपील करने के अधिकारिता नहीं थी। अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत अपील समयावधि में मानकर निरस्त की थी। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

- 4/ अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं।
- 5/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 की अपील को समयावधि के बाहर मानकर अस्वीकार किया था। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में निष्कर्ष निकाला है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी, परन्तु आपत्ति बावत क्या निर्णय लिया इसका उल्लेख तहसीलदार ने आदेश दिनांक 29-12-2000 में नहीं किया। अतः तहसीलदार के आदेश की जानकारी आपत्तिकर्ताओं को नहीं थी। इसलिए विलम्ब का कारण सद्भाविक मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय-सीमा में मानकर पक्षकारों की सुनवाई कर, गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर न करते हुये विलम्ब के आधार पर अपील अस्वीकार की थी इसी कारण अपर आयुक्त ने आपत्तिकर्ताओं को अपने साक्ष्य अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का अवसर देने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया है। अतः प्रार्थी अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि अपर

५

२३/१२/२०१०

आयुक्त ने मेरिट पर कोई आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उभय पक्ष को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है जहां वे अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त उज्जैन का आदेश दिनांक 12-3-10 यथावत रखा जाता है।

(डॉ० बी० मधु० खरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर